टीपः– प्रतिवादी क्रमांक–1 के साक्षी रामायण प्रसाद देवांगन का आदेश 18 नियम 04 व्य0प्र0सं0 का शपथपत्र पूर्व में पेश किया गया है जिसमें कंडिका क्रमांक–01 से 03 अंकित है। साक्षी को आज शपथ दिलाया जाकर उसका प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस.एल.थवाईत अधिवक्ता वास्ते वादिनी

04. यह कहना सही है कि रथराम, मुरारी एवं कृष्ण कुमार का पिता है। यह कहना सही है कि मैने वादभूमि से संबंधित दस्तावेज रथराम के पास नहीं देखे हैं। यह कहना सही है कि राजस्व अभिलेखों में वादभूमि एवं मकान कृष्ण कुमार के नाम पर दर्ज था।

05. यह कहना सही है कि वादभूमि क्रय करने एवं उस पर मकान निर्माण हेतु कृष्ण कुमार ने बैंक से लोन लिया था। यह कहना सही है कि कृष्ण कुमार का एक और भाई घनश्याम थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यह कहना सही है कि घनश्याम की पत्नी अंजनी तथा पार्थ देवांगन उसका पुत्र है।

06. यह कहना गलत है कि मेरे सामने कृष्ण कुमार, रथराम, घनश्याम, मुरारी के मध्य बंटवारा नहीं हुआ था। वादमकान घनश्याम एवं मुरारी को आधा–आधा मिला था एवं पुराना मकान रथराम को मिला था, स्कूल के पास स्थित मकान कृष्ण कुमार के पास संभवतः होगी। पूरे बंटवारे का लिखापढी नहीं हुई थी किन्तु वाद मकान के बंटवारे के संबंध में लिखापढी हुई थी।

07. बंटवारे की निश्चित तारीख आज मुझे याद नहीं है किन्तु घनश्याम की मृत्यु के लगभग छः माह बाद बंटवारा की लिखापढी हुई थी। यह कहना सही है कि घनश्याम की मृत्यु की तिथि एवं वर्ष मुझे याद नहीं है। स्वतः कथन है कि लॉकडाउन के दौरान घनश्याम की मृत्यु हुई है। यह कहना सही है कि मकान निर्माण के पश्चात् से कृष्ण

कुमार द्वारा उसमें दुकान का संचालन किया जा रहा था। यह कहना सही है कि वादमकान को कृष्ण कुमार देवांगन ने उमा सोनी को विक्रय कर रजिस्ट्री कर दिया है। यह कहना सही है कि कृष्ण कुमार देवांगन ने विक्रय की संपूर्ण रकम अकेले प्राप्त की है।

08. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वादमकान का कब्जा कृष्ण कुमार देवांगन ने उमा सोनी को दिया है अथवा नहीं। यह कहना सही है कि मुरारी वाद मकान में स्थित दुकान का संचालन लगभग तीन वर्षों से कर रहा है। स्वतः कथन है कि पहले दुकान का संचालन मृतक घनश्याम किया करता था। मेरे द्वारा शपथपत्रीय साक्ष्य की कंडिका–3 में यह लिखवाया गया है कि वादभूमि पर वादिनी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है उपरोक्त बात मैने इसलिये लिखायी है क्योंकि वादिनी का कभी भी वादमकान पर कब्जा नहीं हुआ था।

09. मेरे शपथपत्रीय साक्ष्य की कंडिक–2 में वादमकान एवं भूमि बंटवारे में मुरारीलाल देवांगन को प्राप्त हुई है जिस पर वह निवास एवं इलेक्ट्रानिक दुकान संचालित कर कब्जें में है। उपरोक्त दुकान मुरारीलाल देवांगन ने घनश्याम के मरने के बाद चलाना शुरू किया था क्योकि उसके पूर्व दुकान को घनश्याम चला रहा था। यह कहना सही है कि शपथपत्रीय साक्ष्य की कंडिका–2 में वादमकान एवं भूमि बंटवारे में मिलने के बाद से मुरारीलाल देवांगन द्वारा निवास एवं इलेक्ट्रानिक दुकान का संचालन किया जाना जो लेख है वह गलत है।

10. यह कहना गलत है कि मैं केवल मुरारी के कहने पर वादमकान में मुरारी का कब्जा होना बता रहा हूं। यह कहना गलत है कि कृष्ण कुमार वादमकान एवं दुकान का कब्जा उमा सोनी को दे दिया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 21.01.2023 को मुरारीलाल ने बलपूर्वक वाद मकान में कब्जा कर लिया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आर.आर.तिवारी अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी क्र.–2</u>

11. कुछ नहीं ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया, तथा ठीक मानकर उसने हस्ताक्षर किये।

सही/–
(शैलेन्द्र चौहान)
प्रथम जिला न्यायाधीश जांजगीर
जिला– जांजगीर–चांपा छ०ग०

मेरे निर्देश मे टंकित।

सही/–
(शैलेन्द्र चौहान)
प्रथम जिला न्यायाधीश जांजगीर
जिला- जांजगीर-चांपा छ०ग०